

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक एफ.14(1)(1)श्रम/रोडवेज/लोकोपयोगी/विधि/1985

जयपुर दिनांक 07.07.2022

अधिसूचना

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-14) की धारा-2 एन (vi) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इससे सन्तुष्ट होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना अपेक्षित है, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ "ट्रासपोर्ट अन्डर (अदर देन रेल्वेज) फॉर दी कैरिज ऑफ पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स बाई रोड" के कार्यों को अधिसूचना जारी होने की तिथि से 06 माह की अवधि के लिये लोकोपयोगी सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल के आदेश से




(पतंजलि भू)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ.14(1)(1)श्रम/रोडवेज/लोकोपयोगी/विधि/1985

जयपुर दिनांक 07.07.2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को।
2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (मुख्यालय) राजस्थान जयपुर।
3. उप निदेशक (ए.सी.पी.) आई.टी सेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राज पत्र में क्रम संख्या 1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करें।
4. कार्यकारी निदेशक, (प्रशासन) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, परिवहन मार्ग जयपुर को पत्रांक एफ 112(2)/मु./श्रम/सामा.11/2022/252 दिनांक 17.06.2022 के क्रम में।
5. गार्ड पत्रावली।



अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर।